भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3396

उत्तर देने की तारीख-16/12/2024

उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात

†3396. **श्री टी. आर. बालू:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) का 20 प्रतिशत भी प्राप्त करने में असमर्थ हैं और इन राज्यों में लड़कियों के लिए जीईआर भी बदतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) स्वतंत्रता के 77 वर्षों के बाद भी उच्च शिक्षा में जीईआर बहुत खराब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा स्थिति को सुधारने के लिए क्या सुधारात्मक कदम/कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): एआईएसएचई 2022-23 (अनंतिम**)** के अनुसार, राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 29.5 है। केवल चार राज्यों की जीईआर 20 से कम है। राज्यवार कुल और महिला जीईआर https://www.education.gov.in/parl_ques पर उपलब्ध है।

शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसलिए इसकी गुणवत्ता बढ़ाना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का उत्तरदायित्व है। मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप बनाया गया है। एनईपी 2020 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा जन्म या पृष्ठभूमि संबंधी परिस्थितियों के कारण अधिगम और उत्कृष्टता प्राप्त करने का अवसर न

खोए। इस नीति का उद्देश्य महिलाओं को अधिक पहुंच प्रदान करने सहित पहुंच, भागीदारी और अधिगम परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अंतराल को कम करना है। केंद्र सरकार ने महिलाओं सहित पूरे देश में छात्रों के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए फीस में कटौती, अधिक संस्थानों की स्थापना, छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति तक प्राथमिकता संबंधी विभिन्न कदम उठाए हैं ताकि कमजोर वित्तीय पृष्ठभूमि वाले छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने में सहायता मिल सके।

सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियां और फैलोशिप कार्यान्वित कर रही है, जिनका विवरण निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध है:

क्रमांक	मंत्रालय/विभाग	वेबसाइट लिंक
1.	उच्चतर शिक्षा विभाग	https://www.education.gov.in/scholarships_education_loan
2.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	https://frg.ugc.ac.in
3.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	https://www.aicte-india.org/bureaus/rifd/Scholarship-Schemes
4.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	https://socialjustice.gov.in/scheme-cat
5.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	https://tribal.nic.in/ScholarshiP.aspx
6.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	https://www.minorityaffairs.gov.in/show_content.php?lang=1&level=2&ls_id=669&lid=825

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थान संबंधित राज्यों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राज्य और केंद्र देश के छात्रों विशेषकर वंचित समुदायों के छात्रों के शैक्षिक स्तर के उत्थान का प्रयास करते हैं। सरकार ने उच्च शिक्षा में जीईआर बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं: -

i. भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार, केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 को जनवरी, 2007 में अधिसूचित किया गया था, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 7.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के

लिए 27% सीटें आरक्षित हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं कि संसद द्वारा पारित अधिनियम के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को सभी शिक्षण संस्थानों द्वारा अक्षरशः लागू किया जाए।

ii. और अधिक एचईआई को खोलना:- एआईएसएचई के तहत पंजीकृत विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों की संख्या वर्ष 2014-15 में 760 से बढ़कर वर्ष 2022-23 (अनंतिम) में 1213 हो गई है और कॉलेजों की संख्या वर्ष 2014-15 में 38,498 से बढ़कर वर्ष 2022-23 (अनंतिम) में 46,624 हो गई है।

iii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों तथा असेवित क्षेत्रों सहित छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति और फैलोशिप योजनाओं का कार्यान्वयन करना।

iv. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा बेहतर प्रदर्शन करने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों (एनएएसी और एनआईआरएफ रैंकिंग के आधार पर) को गुणवत्ता मापदंडों के आधार पर पूर्ण मुक्त दूरस्थ शिक्षा/ऑनलाइन कार्यक्रम प्रदान करने की अनुमति देना।

v. उच्च शिक्षा प्रणाली में अत्यंत आवश्यक लचीलापन और उचित निकास तथा पुनः प्रवेश के विकल्प उपलब्ध कराना ताकि विद्यार्थियों को अपने अधिगम मार्ग को चुनने में सुविधा हो।

vi. युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय वेब अध्ययन (स्वयं) मंच, जो कई विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले सुव्यवस्थित ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है, के माध्यम से सभी शिक्षार्थियों को किसी भी समय, कहीं भी अधिगम अवसर प्रदान करना।

vii. छात्रों की सुविधा के लिए जेईई, एनईईटी (यूजी) और सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) जैसी परीक्षाओं को 13 भाषाओं में आयोजित करना और छात्रों, विशेष रूप से स्थानीय/ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों की सुविधा के लिए भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अनुसार, वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा जीईआर को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। सरकार की पहल के परिणामस्वरूप वर्ष 2014-15 में जीईआर 23.7 से बढ़कर वर्ष 2022-23 (अनंतिम) में 29.5 हो गई है।

*****